PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 147
दि. 26.09.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एक ही दिन चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सवाल, टीएमसी विवाद से नंदीग्राम के चुनाव चिह्न तक घिरी प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के नाम-चिह्न विवाद पर मांगी समय-सीमा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'लिफाफा' चिह्न दोबारा आवंटित करने पर पूछा- 183 मुक्त प्रतीक होने के बावजूद यही बदलाव क्यों

नई दिल्ली। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के सवालों के केंद्र में चुनाव आयोग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके पारंपरिक 'घास-फूल' चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर आयोग से अंतिम निर्णय के लिए उचित समय-सीमा बताने को कहा, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनावों से पहले 'लिफाफा' चुनाव चिह्न के पुनः आवंटन पर आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। इन दोनों मामलों ने चुनाव आयोग के सामने चल रही कानूनी चुनौतियों को एक साथ सामने ला दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि वह यह बताए कि इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिया जा सकता है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का विवाद लंबे समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए और आयोग को इसके निपटारे के लिए उचित समय-सीमा बतानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की गई है।

यह मामला पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के भीतर गुटीय विवाद के बीच अंतरिम व्यवस्था के तहत मूल 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और उसके पारंपरिक 'घास-फूल' चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। इसके बाद संबंधित गुटों को उपचुनाव के लिए अलग नाम और प्रतीक दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत में उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जिसमें पार्टी विवाद के अंतिम निपटारे में समय लग सकता है। पीठ ने कहा कि आयोग इस मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई जैसे विकल्प पर विचार कर सकता है, ताकि विवाद को अनिश्चित अवधि तक लंबित न रखा जाए। अदालत ने हालांकि अभी पार्टी के नाम या चुनाव चिह्न पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। फिलहाल सवाल आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया और अंतिम निर्णय की समय-सीमा को लेकर है।

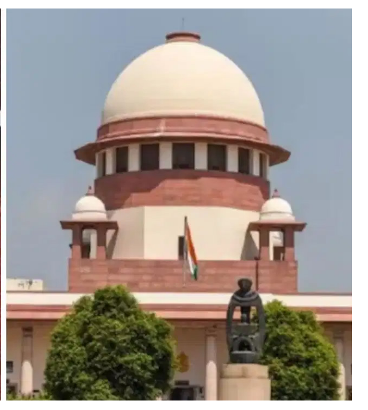

उधर, कलकत्ता हाईकोर्ट में नंदीग्राम उपचुनाव से जुड़े एक अलग मामले ने चुनाव आयोग के सामने दूसरी चुनौती खड़ी कर दी। भारतीय सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ की ओर से दाखिल याचिका में आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 'लिफाफा' चुनाव चिह्न डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को आवंटित किया गया। आईएसएफ का कहना है कि उसे यह प्रतीक पहले से आवंटित था। हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा कि पहले से इस्तेमाल हो रहे इस प्रतीक को एक अन्य दल को देने का आधार क्या था।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की अदालत में सुनवाई के दौरान आईएसएफ की ओर से कहा गया कि पार्टी को वर्ष 2021 से 'लिफाफा' प्रतीक का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी। याचिकाकर्ता पक्ष ने सवाल उठाया कि उपचुनाव के ठीक पहले यह प्रतीक वापस लेकर दूसरे दल को क्यों दिया गया। इस पर चुनाव आयोग की ओर से दलील दी गई कि 'लिफाफा' एक मुक्त चुनाव चिह्न है और आयोग को उसे किसी दल को आवंटित करने का अधिकार है। अदालत ने इस दलील के बावजूद आयोग से अपने निर्णय का स्पष्ट आधार बताने को कहा। अदालत के सामने यह तथ्य भी रखा गया कि नंदीग्राम उपचुनाव में आईएसएफ स्वयं चुनाव मैदान में है। ऐसे में एक चुनाव चिह्न, जिसका इस्तेमाल वह पहले कर चुकी है, किसी अन्य दल को आवंटित किए जाने से मतदाताओं में भ्रम पैदा होने की आशंका जताई गई। हाईकोर्ट ने आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने इस स्तर पर चुनाव आयोग के निर्णय को अंतिम रूप से रद्द नहीं किया है, बल्कि उसके फैसले के पीछे के कारणों की जानकारी मांगी है।

इसी बीच नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान से जुड़ा मामला भी अदालतों में पहुंचा। प्रधान को वर्ष 2007 के पुराने मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ नंदीग्राम और खेजुरी थानों में उस दौर की घटनाओं से जुड़े मामले दर्ज हैं। उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है, जबकि नामांकन और प्रचार की समय-सीमा के बीच उनकी गिरफ्तारी ने उनके चुनाव अभियान को प्रभावित किया। उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में राहत की मांग की थी।

24 सितंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस को एक मामले में 12 अक्टूबर तक प्रधान के खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था और उन्हें उस मामले में गिरफ्तार न माना जाए, ऐसा आदेश दिया था। इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से प्रधान को चुनाव लड़ने देने की बात भी मौखिक रूप से कही थी। लेकिन अगले दिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश आर.वी. घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक कानून में किसी ऐसे आरोपी को इस तरह अंतरिम संरक्षण देने का प्रावधान नहीं है जो पहले से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने प्रधान को कानून के तहत उपलब्ध जमानत के रास्ते का इस्तेमाल करने को कहा।

खंडपीठ के इस आदेश के बाद मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने की अनुमति का सवाल भी उनके जमानत और हिरासत से जुड़े मामलों से जुड़ गया है। शुक्रवार को अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में जमानत याचिकाओं की सुनवाई आगे बढ़ाने की बात कही। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कुछ मामलों में सुनवाई सोमवार तक टाली गई है। इसलिए इस मामले में अलग-अलग पीठों के आदेशों और आगे होने वाली सुनवाई का महत्व बढ़ गया है।

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार प्रधान की गिरफ्तारी 18 सितंबर को 2007 के पुराने मामलों के सिलसिले में हुई थी। उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और गैरकानूनी जमावड़े सहित गंभीर आरोपों से जुड़े मामले बताए गए हैं। प्रधान के पक्ष ने अदालत में गिरफ्तारी के समय और चुनावी प्रक्रिया के बीच संबंध का मुद्दा उठाया है, जबकि राज्य सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ पहले से वारंट जारी था और कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई। इन दावों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित न्यायिक कार्यवाही के बाद ही सामने आएगा।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच चुनाव आयोग के सामने तीन अलग-अलग स्तर के विवाद एक साथ चर्चा में हैं। पहला विवाद टीएमसी के नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से समय-सीमा मांगी है। दूसरा नंदीग्राम और रेजिनगर में 'लिफाफा' चिह्न के आवंटन का है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग से कारण पूछा है। तीसरा मामला कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी और उनके चुनाव लड़ने के अधिकार से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही का है। इन मामलों में अदालतों ने अलग-अलग स्तर पर सवाल और निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी भी मामले में इन टिप्पणियों को चुनाव आयोग की अंतिम कानूनी स्थिति पर फैसला नहीं माना जा सकता। आयोग के लिए तत्काल चुनौती अब इन न्यायिक कार्यवाहियों के बीच चुनावी प्रक्रिया को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़ाने की है। नंदीग्राम और रेजिनगर के उपचुनाव 6 अक्टूबर को प्रस्तावित हैं और उससे पहले उम्मीदवारों, चुनाव चिह्नों तथा प्रचार से जुड़े विवादों पर अदालतों के फैसलों का सीधा असर चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। दूसरी ओर टीएमसी के नाम और चिह्न का विवाद पार्टी की चुनावी पहचान से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

फिलहाल अदालतों में चल रही इन कार्यवाहियों का केंद्र चुनाव आयोग के फैसलों की प्रक्रिया, उनके आधार और समय-सीमा से जुड़े सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी विवाद पर आयोग से स्पष्ट समय-सीमा मांगी है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'लिफाफा' चिह्न के आवंटन पर विस्तृत जवाब तलब किया है। वहीं मिलन प्रधान के मामले में एकल पीठ और खंडपीठ के अलग-अलग आदेशों के बाद अब आगे की जमानत सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल के आगामी उपचुनावों से पहले कानूनी और चुनावी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई है।

गुजरात में कांग्रेस की नई रणनीति, सुरजेवाला ने संभाली कमान तो स्थानीय मुद्दों पर फोकस

नई दिल्ली/अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राज्य की राजनीति में चुनावी तैयारियों की आहट तेज हो गई है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन में बड़ा बदलाव किया है और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी बनाया है। पार्टी की ओर से उन्हें गुजरात के साथ कर्नाटक की जिम्मेदारी भी दी गई है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सुरजेवाला ने गुजरात पहुंचकर प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं और पार्टी के लिए नया राजनीतिक एजेंडा तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

सुरजेवाला की गुजरात में नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस राज्य में लंबे समय से सत्ता से बाहर है और संगठन को दोबारा मजबूत करने की चुनौती का सामना कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 182 सदस्यीय विधानसभा में 17 सीटें मिली थीं। इसके बाद पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करने और अपने पारंपरिक जनाधार को फिर से सक्रिय करने की चुनौती बनी रही। ऐसे में गुजरात की जिम्मेदारी सुरजेवाला को सौंपे जाने को कांग्रेस की आगामी चुनावी

तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सुरजेवाला इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब गुजरात की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता राज्य संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना बताई जा रही है। 12 सितंबर को अहमदाबाद में प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक के बाद सुरजेवाला ने कहा था कि कांग्रेस गुजरात के लिए 'नए गुजरात' का एजेंडा तैयार करेगी। उन्होंने रोजगार, उद्यम, किसानों, गरीबों और युवाओं से जुड़े विषयों को प्रमुखता देने की बात कही। पार्टी नेताओं से सुझाव लेकर उन्हें एक व्यापक नीति और विजन में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, गुजरात चुनाव को लेकर सुरजेवाला की रणनीति का एक अहम हिस्सा राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय राज्य से जुड़े सवालों को चुनावी बहस के केंद्र में रखना है। कांग्रेस का मानना है कि गुजरात जैसे राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार, कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, युवाओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को अधिक प्रमुखता के साथ उठाया जा सकता है। इसी दिशा में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। सूत्रों के अनुसार, सुरजेवाला की रणनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनावी हमले के केंद्र में रखने के बजाय गुजरात सरकार और राज्य से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बात भी शामिल है। बताया जा रहा है कि पार्टी के संभावित अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की नीतियों से जुड़े सवालों को प्रमुखता दी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस की अंतिम चुनावी रणनीति और प्रचार का स्वरूप आने वाले महीनों में संगठनात्मक बैठकों और पार्टी के तैयार किए जाने वाले एजेंडे के आधार पर तय होगा। पार्टी के भीतर चर्चा का एक और बिंदु कारोबारी समुदाय को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान उद्योग जगत के प्रमुख नामों को सीधे निशाना बनाने की रणनीति से बचना चाहती है। अडानी और अंबानी जैसे कारोबारी समूहों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ओर से उठाए जाने वाले सवालों की तुलना में गुजरात चुनाव में स्थानीय आर्थिक और औद्योगिक समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की योजना बताई जा रही है। इसके पीछे पार्टी की ओर से गुजरात के कारोबारी और औद्योगिक परिवेश को ध्यान में रखने की बात कही जा रही है। हालांकि सुरजेवाला की हालिया बैठकों में सामने आया एजेंडा केवल इन तीन राजनीतिक रणनीतियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने गुजरात के किसानों, युवाओं और उद्योगों से जुड़े कई मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया है। उनके अनुसार राज्य में रोजगार और उद्यम के अवसर बढ़ाने, किसानों को विकास में हिस्सेदारी दिलाने तथा गरीब वर्ग के हितों को नीति के केंद्र में रखने की जरूरत है। उन्होंने सूरत के हीरा और कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं पर भी चर्चा की है।

मोदी के साथ महिला की कथित डीपफेक तस्वीरों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, मेटा को 24 घंटे में हटाने का आदेश

नई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के इस्तेमाल से तैयार की गई कथित आपत्तिजनक तस्वीरों के प्रसार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाया जाए और किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर उसे हटा दिया जाए। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी तस्वीर को एआई तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपत्तिजनक रूप में जोड़कर प्रसारित किया गया। अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है। मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब एआई और डीपफेक तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की तस्वीर, आवाज या पहचान को बदलकर नए डिजिटल कंटेंट तैयार करने के मामलों को लेकर कानूनी और सामाजिक चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका में महिला ने दावा किया कि उसकी तस्वीर का कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया गया और एआई की मदद से उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर आपत्तिजनक तस्वीर तैयार की गई। याचिका के अनुसार यह सामग्री केवल इंटरनेट तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक प्रदर्शन के दौरान बैनर पर भी इस्तेमाल की गई और बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित हुई। महिला की ओर से अदालत में यह भी आरोप लगाया गया कि कथित तस्वीर को प्रदर्शन में प्रदर्शित किए जाने के बाद उसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। याचिका में संबंधित सामग्री को सोशल मीडिया के साथ-साथ दूसरी वेबसाइटों से भी हटाने, उसके आगे प्रसार पर रोक लगाने और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद समान सामग्री को हटाने की मांग की गई। महिला ने यह भी दावा किया कि तस्वीरों के प्रसार के बाद उसे गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ा। महिला ने अपनी याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को पक्षकार बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान महिला की तस्वीर का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया और एआई आधारित फेस-स्वैपिंग तकनीक के जरिए उसे प्रधानमंत्री के साथ जोड़कर आपत्तिजनक दृश्य तैयार किए गए। अदालत ने इन आरोपों पर फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने मामले की संवेदनशीलता पर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि मामला केवल एक महिला से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री का संदर्भ भी है। इसी कारण अदालत ने संबंधित अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेने को कहा। अदालत ने महिला की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी किए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसकी निजी जानकारी अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न हो। दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके बाद अदालत ने पुलिस को मामले की जांच की स्थिति से अवगत कराने के लिए रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। उपलब्ध अदालती रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को मामले में की गई कार्रवाई का विवरण अदालत के सामने रखने का निर्देश दिया गया है। महिला के वकील ने अदालत के सामने यह भी कहा कि कथित रूप से प्रसारित तस्वीरें आपत्तिजनक और अश्लील प्रकृति की हैं। उनका कहना था कि सामग्री के लगातार प्रसारित होने के कारण महिला की परेशानी बढ़ रही है और उसे धमकियां मिल रही हैं। याचिका में कथित धमकियों में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब हमले और जान से मारने जैसी धमकियों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के स्तर पर होनी बाकी है और अदालत ने अभी इन आरोपों को साबित हुआ नहीं माना है।

मेटा को दिए गए निर्देश इस मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अदालत ने संबंधित कंटेंट को अपने नियंत्रण वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार कोई आपत्तिजनक या फर्जी सामग्री पहुंचने के बाद उसके स्क्रीनशॉट, कॉपी, री-अपलोड और दूसरे खातों से दोबारा प्रसार की संभावना बनी रहती है। महिला ने इसी वजह से केवल मूल पोस्ट हटाने की नहीं, बल्कि संबंधित वेबलिंक और अन्य प्लेटफॉर्म से भी सामग्री हटाने की मांग की है।

अदालत के समक्ष यह सवाल भी आया कि महिला को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने महिला को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि संवेदनशील मामले में पीड़िता को अपनी निजी जानकारी के सार्वजनिक होने से अतिरिक्त खतरा न हो। इस संदर्भ में अदालत ने पुलिस को महिला के पते की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी सावधानी बरतने को कहा।

SIR विवाद पर NDA सहयोगियों की चिंता, चुनाव आयोग ने कहा– सभी आयुक्तों की सहमति से हुए फैसले

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की खबरों ने अब राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है। विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जाने के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल दलों के नेताओं ने भी आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि SIR को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और चुनाव आयोग को तत्काल सामने आकर सही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग से स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता जताई है।

चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और यदि उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो आयोग, विशेषकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना पक्ष जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखे। उनका कहना था कि विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यदि चुनावी प्रक्रिया को लेकर आम लोगों के मन में संदेह पैदा होने लगे तो उसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल को जवाब देने के बजाय जनता के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि

मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों के कारण जनता के बीच भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। उनके अनुसार आयोग को सामने आकर तथ्य स्पष्ट करने चाहिए, ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। NDA के अन्य सहयोगी दलों की ओर से भी आयोग से इसी तरह की पारदर्शिता और स्पष्टीकरण की मांग सामने आई है।

इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच चुनाव आयोग ने SIR और नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार बिहार में SIR का आदेश, उसके बाद असम के लिए जारी आदेश तथा 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों एवं बाद में 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी SIR आदेश आयोग के सभी सदस्यों की मंजूरी से जारी किए गए थे। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि इन आदेशों में नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए Form 6 के साथ एक घोषणा पत्र जमा करने की व्यवस्था शामिल थी। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता कम करना था।

चुनाव आयोग का तर्क है कि Form 6 में कोई वैधानिक संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि SIR के दौरान इसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र लिया गया। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था बिहार में शुरू हुए SIR के आदेश में शामिल थी और बाद के SIR आदेशों में भी इसे जारी रखा गया। आयोग ने इसे Representation of the People Act, 1950 की धारा 21(3) के तहत विशेष पुनरीक्षण की शक्ति से जोड़ते हुए कहा है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं की जानकारी का मिलान करना और नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है।

यही वह बिंदु है जहां विवाद की शुरुआत हुई। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने Form 6 में SIR से संबंधित घोषणा जोड़े जाने पर आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मई में विवेक जोशी ने अपने नोट में कहा था कि Form 6 एक वैधानिक प्रपत्र है और इसमें बदलाव Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार बाद में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी इसी आपत्ति से सहमति जताई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक इस नए घोषणा पत्र में नए मतदाता से यह जानकारी मांगी गई कि उसका नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। ऑनलाइन प्रक्रिया में यह हिस्सा अलग घोषणा के रूप में दिखाई देता था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भले ही इस हिस्से को अनिवार्य नहीं बताया गया था, लेकिन इसे भरे बिना ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसी को लेकर यह सवाल उठा कि क्या SIR के प्रशासनिक आदेश के माध्यम से वैधानिक Form 6 में इस तरह की नई शर्त जोड़ी जा सकती है।

वहीं चुनाव आयोग की ओर से रखी गई स्थिति इससे अलग है। आयोग का कहना है कि Form 6 की मूल वैधानिक संरचना में बदलाव नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ एक घोषणा पत्र की व्यवस्था की गई। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था पहले बिहार के SIR आदेश में शामिल की गई थी और बाद में अन्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी आदेशों में भी शामिल रही। अधिकारियों का कहना है कि इससे नए मतदाताओं की जानकारी को पिछली मतदाता सूचियों से जोड़ने और आवश्यक कागजी प्रक्रिया को कम करने में मदद मिलती है।

इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि SIR स्वयं अदालत में भी चुनौती का विषय रहा है। आयोग से जुड़े अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2026 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत ने SIR के लिए आयोग की शक्ति को Representation of the People Act, 1950 की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 से जुड़ा माना था। आयोग का कहना है कि इसी कानूनी आधार पर अलग-अलग चरणों में SIR की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

संपादकीय

चुनाव आयोग की जवाबदेही

हाल के वर्षों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर देश का विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। हालांकि, चुनाव हारने पर विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला पुराना है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का चुनाव आयोग विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जिसकी तपिश भारतीय लोकतंत्र की साख पर भी पड़ती है। निस्संदेह, चुनाव आयोग का दायित्व लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव कराना और नागरिकों के वोट देने के महत्वपूर्ण अधिकार की रक्षा करना होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को विवादित 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' यानी एसआईआर से जुड़ी विसंगतियों ने भारी ठेस पहुंचायी है। हाल ही में दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार की पड़ताल में पता चला है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्तूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम चौदह बार उन फैसलों पर आपत्ति जताई, जो उनकी जानकारी में लाए बगैर लिये गए थे। सूत्रों के मुताबिक इन दो चुनाव आयुक्तों की चिंताओं में फॉर्म-6 में बदलाव, वोटर लिस्ट डेटाबेस का सेंट्रलाइजेशन, फील्ड अधिकारियों की इस तक सीमित पहुंच और वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया शामिल थी। निस्संदेह, इस प्रकरण से मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति असहज हो गई है। इसके बाद अक्सर चुनाव आयोग पर हमलावर रहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों के बीच उजागर हुए इस मतभेद को प्रशासनिक छोटी-मोटी बात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये प्रकरण चुनाव की विश्वसनीयता और जवाबदेही के मूल मुद्दे से जुड़ा है। वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिये बने फॉर्म-6 में, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स-1960 में कानूनी रूप से सही तरीके से संशोधन किए बिना बदलाव कर दिए गए। इन बदलावों के चलते नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

विडंबना यह है कि जो फॉर्म-6 वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिये बना था, उसे बेहद जटिल बना दिया गया। जिसमें यह जानकारी देनी अनिवार्य कर दी गई कि क्या वोटर के माता-पिता का नाम पिछली एसआईआर सूची में शामिल था। उल्लेखनीय है कि एसआईआर की जटिलता को महसूस करते हुए पिछले बार की प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने निभायी थी। लेकिन इस बार यह जवाबदेही वोटरों के सिर पर डाल दी गई। एक सामान्य मतदाता कैसे याद रखे कि करीब चौथाई सदी पहले उसने या उसके माता-पिता ने किस बूथ पर वोट डाला था। इस संबंध में जानकारी जुटाने के लिये लोग दर-दर की ठोकरें खाते रहे हैं। इस जानकारी से मैपिंग न हो पाने के कारण पूरे देश में करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। पश्चिम बंगाल में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने पर नागरिकों व विपक्ष ने कड़ा प्रतिरोध किया। अब तक तय की गई दस में से नौ अपीलों में वोट बहाल होने की रिपोर्ट से पता चलता है कि विसंगतियों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। इस समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया की कछुआ चाल का पता इस बात से चलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल को बंगाल में लंबित 37 लाख अपीलों का निस्तारण करने में करीब बारह साल लग सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के हित में जरूरी है कि चुनाव आयोग को गोपनीयता का पर्दा अविलंब हटाना चाहिए। उसे संबंधित रिकॉर्ड प्रकाशित करने चाहिए। सही मायने में चुनाव आयोग को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी तरीके से बताना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को अपने आयुक्तों द्वारा उठाये गए हर अहम सवाल का जवाब भी देना चाहिए। चुनाव आयोग का नैतिक दायित्व है कि वह सरकार के बजाय नागरिकों के हितों के प्रति जवाबदेह हो। आयोग का फर्ज है कि वह स्पष्ट जवाब देश के नागरिकों को दे। साथ ही हर भारतीय को एक ऐसा चुनावी सिस्टम दे, जो समावेशी और नागरिकों की सुविधा के अनुकूल हो।

Election Commission भेदभाव तो करता है! आम लोगों और VIP Voters के साथ आखिर अलग अलग सलूक क्यों होते हैं?

> अब निगाह इस बात पर रहेगी कि लाखों आम मतदाताओं के मामलों का निस्तारण किस गति और किस समान प्रक्रिया के तहत होता है और चार नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची एसआईआर को लेकर उठे सवालों का कितना स्पष्ट जवाब देती है।

नई दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही कवायद के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी प्रक्रिया पर फिर से बहस तेज कर दी है। हम आपको बता दें कि जिन प्रमुख और चर्चित मतदाताओं के नाम पर एसआईआर के दौरान नोटिस जारी हुए थे, उनमें से अधिकांश के विवरण और दस्तावेजों का सत्यापन अब पूरा कर लिया गया है और उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे चर्चित नाम शामिल हैं।इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगढ़िया, भाजपा विधायक कैलाश गहलोत, पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई अन्य प्रमुख लोगों को भी एसआईआर के दौरान नोटिस मिला था। चुनाव अधिकारियों के अनुसार इन मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई और संबंधित मतदाताओं से आवश्यक जानकारी तथा दस्तावेज हासिल किए गए। सत्यापन पूरा होने के बाद इनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

दरअसल, इन चर्चित नामों को नोटिस मिलने के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसे लोगों के नाम भी एसआईआर की जांच के दायरे में कैसे आ गए? चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतदाता विवरण में कुछ तार्किक विसंगतियां मिली थीं या फिर मौजूदा विवरण पिछली गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े अभिलेखों से मेल नहीं खा रहा था। इसी आधार पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों के मुताबिक नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता सूची से नाम काटे जाने का संकेत नहीं है, बल्कि यह संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर देता है।

लेकिन असली सवाल यहीं से पैदा होता है। दिल्ली में एसआईआर के तहत करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। यानी यह प्रक्रिया केवल कुछ चर्चित चेहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लाखों आम मतदाताओं पर पड़ रहा है। नोटिस जारी होने के बाद आम मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी पात्रता और विवरण साबित करने के लिए दस्तावेज जुटाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चित और प्रभावशाली लोगों के मामलों में अधिकारियों द्वारा संपर्क कर दस्तावेज जुटाने और सत्यापन पूरा करने की प्रक्रिया सामने आई है।

यही अंतर अब एसआईआर की पूरी कवायद के केंद्र में आ गया है। कुछ रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के एसआईआर में अधिकारियों के स्तर पर वीआईपी मतदाताओं की पहचान कर उनके सत्यापन के लिए अलग तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन रिपोर्टों के अनुसार सामान्य मतदाताओं को जहां नोटिस के बाद सुनवाई और दस्तावेजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, वहीं प्रभावशाली मतदाताओं के मामलों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रही। यह आरोप चुनावी प्रक्रिया की समानता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

हालांकि चुनाव अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष यह है कि नोटिस जारी करने का आधार मतदाता के पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि एसआईआर के दौरान सामने आई विसंगतियां हैं और सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को प्रकाशित की जानी है, जबकि नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी की जानी है।

सिटीगाइड खोजें

इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि जिन चर्चित मतदाताओं के नाम एसआईआर के दौरान सवालों के घेरे में आए, वे सत्यापन के बाद अंतिम सूची में जगह पाने की स्थिति में हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि लाखों आम मतदाताओं के मामलों का निस्तारण किस गति और किस समान प्रक्रिया के तहत होता है और चार नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची एसआईआर को लेकर उठे सवालों का कितना स्पष्ट जवाब देती है। बहरहाल, इतना तो दिख ही रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से आम और खास में फर्क किया जा रहा है।

प्रेरणा

हिंदी की शक्ति अवसर से निखरती है

स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में देश के सामने केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण की चुनौती नहीं थी, बल्कि भाषा को लेकर भी गंभीर विमर्श चल रहा था। भारत विविध भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों वाला देश है। ऐसे में शासन-प्रशासन और जनसंचार की भाषा कैसी हो, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण बन गया था। संसद में भी इस विषय पर समय-समय पर तीखी बहस होती थी। कुछ सांसदों का मत था कि प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए अंग्रेजी पर निर्भरता आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में अभी पर्याप्त शब्दावली उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर हिंदी के समर्थकों का मानना था कि किसी भी भाषा की वास्तविक क्षमता का आकलन उसके वर्तमान भंडार से नहीं, बल्कि उसके विकास की संभावनाओं से किया जाना चाहिए। इसी दौर से जुड़ा एक प्रसंग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से अक्सर सुनाया जाता है। दिनकर उस समय राज्यसभा के सदस्य थे और हिंदी के प्रबल समर्थक माने जाते थे। उनकी कविता में जिस प्रकार राष्ट्रीय चेतना, आत्मसम्मान और जनभावना की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी, उसी प्रकार भाषा के प्रश्न पर भी उनका दृष्टिकोण स्पष्ट और निर्भीक था।

बताया जाता है कि संसद में भाषा नीति को लेकर चर्चा चल रही थी। अनेक सदस्य अपने विचार रख रहे थे। कुछ सदस्यों का तर्क था कि हिंदी में प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। उनका कहना था कि आधुनिक शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना आवश्यक है। कुछ अन्य सदस्यों ने हिंदी की सीमाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हिंदी को व्यापक स्तर पर स्थापित करना आसान नहीं होगा।

बहस आगे बढ़ती रही। हर पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था। किसी के लिए अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान और प्रशासन की भाषा थी, तो किसी के लिए हिंदी भारतीय जनमानस से जुड़ी सहज अभिव्यक्ति। इस पूरे विमर्श के बीच दिनकर जी ने सभी सदस्यों की बातें ध्यानपूर्वक सुनीं। इसके बाद वे अपने स्थान से उठे और अपनी विशिष्ट ओजस्वी शैली में हिंदी के पक्ष में अपनी बात रखी।

उनका तर्क मूलतः यह था कि यदि किसी भाषा को विकसित होने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो वह समृद्ध कैसे बनेगी। किसी भाषा की शब्द-संपदा एक दिन में तैयार नहीं होती। समाज में उसका प्रयोग बढ़ता है, नए विषय उससे जुड़ते हैं, नए शब्द बनते हैं और धीरे-धीरे वह भाषा जीवन के बदलते हुए क्षेत्रों को अपने भीतर समाहित करती जाती है। प्रशासन, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किसी भाषा का प्रयोग जितना बढ़ेगा, उतनी ही तेजी से उसकी शब्दावली का विस्तार होगा।

दिनकर जी ने इसी बात को समझाने के लिए मां और बच्चे का उदाहरण दिया। उनका भाव था कि जब तक मां अपने बच्चे को जमीन पर चलने का अवसर नहीं देगी, तब तक वह बच्चा चलना कैसे सीखेगा? यदि हर समय उसे गोद में ही रखा जाएगा और उसके गिरने की आशंका से उसे जमीन पर उतरने नहीं दिया जाएगा, तो उसके पैरों में चलने का आत्मविश्वास कैसे आएगा। ठीक यही स्थिति भाषा की भी है। यदि हिंदी को प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाएगा और फिर यह कहा जाएगा कि हिंदी अभी सक्षम नहीं है, तो यह तर्क स्वयं विरोधाभासी हो जाता है।

भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती। वह किसी समाज की स्मृति, संस्कृति, विचार, संवेदना और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। जिस भाषा में करोड़ों लोग अपने सुख-दुख, सपने, संघर्ष और भावनाएं व्यक्त करते हैं, उसमें निरंतर विकास की क्षमता स्वाभाविक रूप से मौजूद रहती है। जरूरत केवल उसके प्रयोग को बढ़ाने और उसे नए क्षेत्रों से जोड़ने की होती है।

दिनकर जी के विचारों का केंद्रीय संदेश यही था कि हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए उसे अवसर देना आवश्यक है। किसी भाषा को केवल इसलिए पीछे नहीं रखा जा सकता कि उसके पास किसी विशेष क्षेत्र की शब्दावली अभी कम है। शब्दावली का निर्माण प्रयोग से होता है। नए विचार आते हैं तो नए शब्द बनते हैं, दूसरी भाषाओं से उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं और भाषा अपने समय के अनुरूप स्वयं को ढालती है।

हिंदी की विशेषता भी यही रही है कि उसने समय-समय पर अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी के व्यवहार में सहज रूप से शामिल हुए हैं। यही किसी जीवंत भाषा की पहचान है कि वह परिवर्तन से घबराती नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार नए तत्वों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है।

आज हिंदी का विस्तार साहित्य से लेकर पत्रकारिता, सिनेमा, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, शिक्षा, विज्ञापन और सामाजिक संचार तक दिखाई देता है। तकनीकी युग में भी हिंदी ने अपने लिए नए माध्यम बनाए हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हिंदी को देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा की शक्ति केवल उसके पुराने साहित्य में नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ स्वयं को ढालने की क्षमता में भी होती है।

हिंदी को लेकर दिनकर जी के विचार आज भी एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। किसी भाषा की समृद्धि केवल उसके शब्दकोश से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह कितने लोगों के जीवन और विचारों को अभिव्यक्ति दे रही है। भाषा को अवसर मिलेगा तो वह विकसित होगी, प्रयोग बढ़ेगा तो शब्दावली विस्तृत होगी और समाज उसे अपनाएगा तो उसकी शक्ति भी बढ़ेगी।

इसलिए हिंदी के विकास का रास्ता किसी दूसरी भाषा के विरोध से नहीं, बल्कि हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, अध्ययन और सृजन से होकर गुजरता है। भारत की भाषाई विविधता उसकी शक्ति है और हिंदी का विकास उस विविधता के बीच संवाद का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। दिनकर जी के विचारों में छिपा मूल संदेश यही है कि किसी भाषा को सक्षम बनने के लिए पहले विश्वास और अवसर चाहिए। जिस भाषा को जनता अपने जीवन की आवाज बना लेती है, उसके विकास की संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होतीं।

29 नवंबर को दुनिया देखेगी RSS की ताकत, Centenary Year के तहत सालभर चले अभियान का Delhi में बड़े आयोजन के साथ होगा समापन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का सालभर चला अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। पिछले साल विजयादशमी से शुरू हुई गतिविधियों का समापन 29 नवंबर को नई दिल्ली में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ प्रस्तावित है, जिसे संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। संघ की योजना के मुताबिक इस आयोजन में करीब एक लाख स्वयंसेवक गणवेश में और लगभग 50 हजार आमंत्रित नागरिक शामिल हो सकते हैं।हम आपको बता दें कि संघ ने अपने सौवें वर्ष को केवल स्मरण और उत्सव तक सीमित रखने की बजाय देशव्यापी जनसंपर्क और सामाजिक संवाद के अभियान के रूप में आगे बढ़ाया। इसकी योजना में गांव-गांव और बस्ती-बस्ती संपर्क, सामाजिक समरसता बैठकें, हिंदू सम्मेलन, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद तथा युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल किए गए। वर्ष की शुरुआत से ही संघ ने अपने संगठनात्मक ढांचे को व्यापक सामाजिक संपर्क से जोड़ने पर जोर दिया।

इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक समरसता रहा। संघ की घोषित योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के मंडलों और शहरी बस्तियों में सम्मेलन आयोजित किए गए, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक सद्भाव बैठकों के माध्यम से जाति, क्षेत्र और सामाजिक विभाजन से ऊपर उठकर संवाद का प्रयास किया गया। संघ की योजना में 11,360 खंडों और नगरों में सामाजिक सद्भाव बैठकों तथा 924 जिलों में प्रमुख नागरिकों के साथ संवाद का उल्लेख किया गया था। सालभर चले इस अभियान की पहुंच का अंदाजा संघ द्वारा जारी आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। संघ के अनुसार, देशभर में 62,555 विजयादशमी कार्यक्रमों में 32 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने गणवेश में भाग लिया। संघ ने यह भी बताया कि एक लाख से अधिक स्थानों पर उसकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इन आंकड़ों को संघ अपने बढ़ते सामाजिक विस्तार और स्वयंसेवकों की भागीदारी के संकेत के रूप में प्रस्तुत करता है।

इस शताब्दी वर्ष का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भी संघ से जुड़े संगठनों के माध्यम से संवाद और सामाजिक संपर्क के कार्यक्रम हुए। सितंबर 2026 में मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन में विभिन्न समुदायों, धार्मिक नेताओं, शिक्षाविदों और भारतीय मूल के लोगों के साथ संवाद किया। संघ के अनुसार इन कार्यक्रमों का केंद्र सामाजिक समरसता, सेवा, सांस्कृतिक संवाद और 'वसुधैव कुटुंबकम्' की अवधारणा रही।

देश के भीतर भी इस पूरे वर्ष को संघ ने सेवा, सामाजिक संपर्क, परिवार, पर्यावरण, आत्मनिर्भरता और नागरिक दायित्व जैसे विषयों से जोड़ने का प्रयास किया। संघ के 2025-26 के वार्षिक विवरण के अनुसार देशभर में बड़ी संख्या में सेवा गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में संचालित की गईं।

साथ ही युवा पीढ़ी से संवाद भी इस शताब्दी वर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। खास तौर पर जेन-जी और जेनरेशन अल्फा के साथ संवाद के जरिए संघ ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि नई पीढ़ी को केवल निर्देश देने की बजाय उसकी बात सुनना और उसके सवालों का तार्किक उत्तर देना भी जरूरी है। मुंबई में युवाओं के साथ संवाद के दौरान मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विरोध और असहमति को भी संवाद का हिस्सा बताया तथा युवाओं को देश की अगली पीढ़ी के रूप में देखने की बात कही। संघ के दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की ऊर्जा, अनुशासन, सेवा और नागरिक जिम्मेदारी को जोड़ना उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इसी क्रम में समकालीन मुद्दों पर संघ प्रमुख का सार्वजनिक संवाद भी लगातार दिखाई देता रहा है, चाहे सामाजिक समरसता का प्रश्न हो, परिवार और पर्यावरण का विषय हो, आत्मनिर्भरता हो या नागरिक दायित्व। संघ स्वयं अपने शताब्दी वर्ष के प्रमुख लक्ष्यों में सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और नागरिक जिम्मेदारी को रखता है। यही वजह है कि संघ की सौ वर्षों की यात्रा केवल संगठन के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की यात्रा है। बहरहाल, आरएसएस का शताब्दी वर्ष केवल सौ वर्ष पूरे होने का समारोह नहीं, बल्कि संगठन के लिए अपने सामाजिक आधार, संपर्क अभियान और वैश्विक संवाद को प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर रहा है। अब निगाहें 29 नवंबर के दिल्ली कार्यक्रम पर हैं, जहां सालभर की गतिविधियों को एक बड़े सार्वजनिक मंच पर समेटने की तैयारी है।

अभियान

मां सरस्वती के मंत्रों से जागृत होती है ज्ञान और विवेक की चेतना

भारतीय सनातन परंपरा में ज्ञान को केवल जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे मनुष्य के व्यक्तित्व और चेतना को विकसित करने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है। ज्ञान मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझने, परिस्थितियों का विवेकपूर्ण आकलन करने और जीवन के उद्देश्य को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। इसी ज्ञान, विद्या, कला, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में मां सरस्वती को बुद्धि, विवेक, स्मरण शक्ति, रचनात्मकता और वाणी की देवी माना गया है। विद्यार्थी, कलाकार, साहित्यकार, संगीत साधक और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग विशेष रूप से मां सरस्वती का स्मरण करते हैं।

मां सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और निर्मल माना जाता है। उन्हें सामान्यतः श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, कमल पर विराजमान और हाथों में वीणा धारण किए हुए दर्शाया जाता है। उनके एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में माला भी दिखाई जाती है। वीणा संगीत और कला का प्रतीक मानी जाती है, पुस्तक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है और माला ध्यान तथा आध्यात्मिक साधना की ओर संकेत करती है। उनका वाहन हंस माना गया है, जिसे भारतीय परंपरा में विवेक का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार मां सरस्वती का पूरा स्वरूप ज्ञान, कला, साधना और विवेक के समन्वय का संदेश देता है। भारतीय धार्मिक परंपरा में यह विश्वास रहा है कि मां सरस्वती का ध्यान और मंत्र जाप मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। मंत्रों का नियमित उच्चारण व्यक्ति को अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने, अध्ययन के प्रति मन लगाने और भीतर शांति विकसित करने की प्रेरणा दे सकता है। हालांकि मंत्र जाप को आध्यात्मिक आस्था और साधना की परंपरा के रूप में समझना चाहिए। किसी मंत्र से निश्चित रूप से चमत्कारिक परिणाम मिलने का दावा वैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं है। फिर भी श्रद्धा, नियमित अभ्यास और सकारात्मक मानसिकता के साथ किया गया जाप व्यक्ति के अध्ययन और आत्मअनुशासन की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है।

ज्ञान के गहरे और व्यापक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों के लिए एक मंत्र है—"ॐ ब्रह्म ज्ञानायै नमः।" धार्मिक व्याख्या के अनुसार इस मंत्र में उस ज्ञानशक्ति को नमन किया जाता है जो ब्रह्म या परम सत्य की चेतना से जुड़ी मानी जाती है। यह मंत्र व्यक्ति को बाहरी जानकारी से आगे बढ़कर ज्ञान के मूल स्वरूप पर विचार करने की प्रेरणा देता है। दर्शन, अध्यात्म, रहस्यवाद और जीवन के गूढ़ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले साधकों के लिए इस मंत्र का विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया जाता है।

दर्शन का अध्ययन केवल पुस्तकों में लिखी बातों को याद कर लेना नहीं है। इसके लिए प्रश्न पूछने, तर्क करने, विचारों की तुलना करने और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता आवश्यक होती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से अध्ययन करता है और अपने मन को एकाग्र रखने का प्रयास करता है, तो उसके भीतर विचारों को व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित हो सकती है। इसी दृष्टि से मां सरस्वती के इस मंत्र को मेधा और चिंतन शक्ति से जोड़ा जाता है। मंत्र का जाप करते समय मन को शांत रखते हुए उसके अर्थ पर ध्यान देना साधना को अधिक सार्थक बना सकता है।

विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए भी ज्ञान की साधना का अपना महत्व है। खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड की विशालता को समझने का प्रयास किया जाता है, भौतिक विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करता है और रसायन विज्ञान पदार्थों की संरचना तथा उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। इन सभी क्षेत्रों में जिज्ञासा, एकाग्रता, तार्किक सोच और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। मां सरस्वती की उपासना इसी ज्ञान-प्राप्ति की भावना को आध्यात्मिक आधार प्रदान करने वाली परंपरा के रूप में देखी जाती है।

ऐसे संदर्भ में "ॐ महाविद्यायै नमः" मंत्र का उल्लेख किया जाता है। इसका भावार्थ महान विद्या और ज्ञान की शक्ति को नमन करना है। मां सरस्वती को यहां उस शक्ति के रूप में स्मरण किया जाता है जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह मंत्र केवल किसी एक विषय तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि व्यापक ज्ञान की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थी को किसी एक जानकारी पर रुकने के बजाय लगातार सीखते रहने की आवश्यकता होती है।

महाविद्या का भाव मनुष्य को यह समझने की प्रेरणा देता है कि ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। जितना अधिक व्यक्ति सीखता है, उतना ही उसे यह अनुभव होता है कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। यही जिज्ञासा विज्ञान, साहित्य, दर्शन और कला सहित हर क्षेत्र में प्रगति का आधार बनती है। इसलिए इस मंत्र का जाप करते समय केवल सफलता की इच्छा करने के बजाय ज्ञान के प्रति विनम्रता और निरंतर सीखने की भावना रखना अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

धार्मिक ग्रंथों, दर्शन और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करने वालों के लिए मां सरस्वती की आराधना का अलग महत्व है। धर्म को समझने के लिए केवल श्लोक या मंत्र याद करना पर्याप्त नहीं होता। उनके अर्थ, संदर्भ और उनमें निहित विचारों को समझना भी आवश्यक है। अलग-अलग परंपराओं और शास्त्रों में मनुष्य, प्रकृति, आत्मा, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को लेकर विभिन्न विचार मिलते हैं। ऐसे विषयों का अध्ययन धैर्य, एकाग्रता और विवेक की मांग करता है।

इसी संदर्भ में एक प्रार्थनात्मक पंक्ति का उल्लेख किया जाता है—"वेदानां मातरं पश्य मत्स्थां देवीं सरस्वती।" इसका भाव यह है कि वेदों की माता देवी सरस्वती मेरे भीतर निवास करती हैं। इस भाव में ज्ञान को बाहर की वस्तु मानने के बजाय अपने भीतर जागृत होने वाली चेतना के रूप में देखने की भावना दिखाई देती है। यह मनुष्य को आत्मचिंतन और अध्ययन के लिए प्रेरित करता है।

वेदों की माता के रूप में सरस्वती की कल्पना भारतीय ज्ञान परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों को ज्ञान का प्राचीन स्रोत माना गया है और सरस्वती को उनसे जोड़कर ज्ञान की मूल चेतना का प्रतीक बनाया गया। इस दृष्टि से यह मंत्र उन लोगों के लिए विशेष भाव रखता है जो शास्त्रों, दर्शन और आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करते हैं। मंत्र के शब्दों के साथ उसके भाव को समझकर जाप किया जाए तो साधना केवल उच्चारण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि चिंतन का माध्यम भी बन सकती है।

मां सरस्वती की उपासना में केवल मंत्र जाप ही महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। अध्ययन के प्रति नियमितता, गुरुजनों का सम्मान, पुस्तकों के प्रति आदर, वाणी में संयम और ज्ञान का सदुपयोग भी सरस्वती साधना का हिस्सा समझा जाता है। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन मंत्र का जाप तो करे, लेकिन अध्ययन के लिए समय न दे, तो केवल जाप से उसकी शैक्षणिक तैयारी पूरी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक साधना के साथ परिश्रम और अनुशासन का होना भी आवश्यक है।

सरस्वती की आराधना का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि ज्ञान के साथ विनम्रता होनी चाहिए। वास्तविक ज्ञान मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ाने के बजाय उसे अधिक संवेदनशील और विवेकशील बनाता है। जो व्यक्ति लगातार सीखता है, वह अपनी सीमाओं को भी समझने लगता है। इसी कारण भारतीय परंपरा में विद्या को विनय से जोड़ा गया है। ज्ञान का उद्देश्य केवल दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना भी है।

मंत्र जाप के दौरान कुछ लोग प्रातःकाल शांत वातावरण में बैठकर मां सरस्वती का ध्यान करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ मिनट मन को शांत करके मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। उच्चारण स्पष्ट रखने और मन को इधर-उधर भटकने से रोकने का प्रयास साधना को एकाग्रता का अभ्यास बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र के अर्थ को समझकर उसका जाप करता है, तो उसके लिए यह प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण हो सकती है।

इन मंत्रों को लेकर धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग परंपराओं में अलग रूप में मिल सकती हैं। इसलिए इन्हें श्रद्धा और आध्यात्मिक अभ्यास के संदर्भ में देखना उचित है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

प्राकृतिक खेती से हल्दी की उपज हुई दोगुनी : वैज्ञानिक प्रयोगों में मिली बड़ी सफलता

हल्दी की सफल प्राकृतिक खेती से आय दोगुनी हुई, इस सफल प्रयोग से सभी फलों-फसलों में भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं : प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल, कुलपति एसडीएयू, सरदारकृषिनगर

गांधीनगर, 25 सितंबरः भारत में प्राकृतिक कृषि पद्धति को अधिक मजबूत वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए बायोटेक्नोलॉजी-आधारित एक शोध कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में हल्दी की प्राकृतिक खेती में बड़ी सफलता मिली है।

गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्स सेंटर (जीबीआरसी) और सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय (एसडीएयू) ने संयुक्त रूप से हल्दी की खेती में प्राकृतिक खेती पद्धति के फील्ड ट्रायल किए। इन प्रयोगों से पता चला कि रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती पद्धति से हल्दी की खेती करने से उत्पादन दोगुने से भी अधिक होता है।

इस प्रयोग से संबंधित एक शोध-निबंध भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, "बीएमसी प्लांट बायोलॉजी जर्नल में 2026 में प्रकाशित हुए इस अध्ययन में परंपरागत रासायनिक खेती की तुलना प्राकृतिक खेती के नौ अलग-अलग ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के साथ की गई। प्राकृतिक खेती पद्धति से प्रति हेक्टेयर 40 टन से अधिक हल्दी की उपज हुई, जबकि परंपरागत खेती से प्रति हेक्टेयर 19.3 टन उपज मिली।

अध्ययन के ये निष्कर्ष किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खेती की दिशा में वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे।"

उल्लेखनीय है कि हल्दी को अक्सर 'गोल्डन स्पाइस' के रूप में जाना जाता है और भारत के खाद्य, फार्मास्युटिकल और पारंपरिक औषधि क्षेत्र में इसका अहम स्थान है। इसमें मौजूद सक्रिय घटक करक्यूमिन भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग का एक महत्वपूर्ण कारण है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिट्टी की सेहत सुधारने, किसानों की खेती की लागत में कमी करने और भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती को निरंतर बढ़ावा दिया है।

गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत गांव-गांव का दौरा कर गाय-आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वे किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्राकृतिक और कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं।

परंपरागत पद्धतियों के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा, "ये निष्कर्ष 'बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशन्स थ्रू नेटवर्क रिसर्च प्रोग्राम ऑन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी)' के अंतर्गत मिले हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फसल की उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी की सेहत को पुनर्स्थापित करने और पर्यावरण-अनुकूल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत की परंपरागत खेती पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जोड़ना है।"

श्री जीतूभाई वाघाणी ने आगे कहा, "इस कार्यक्रम के अंतर्गत आठ कृषि-जलवायु जोन में 18 फसलों को शामिल किया गया है। शोधकर्ता इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि उत्पादक और रसायन मुक्त खेती व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए प्राकृतिक खेती पद्धतियां और बायोटेक्नोलॉजी एक-दूसरे के पूरक बनकर किस प्रकार काम कर सकते हैं।"

गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन (जीएसबीटीएम) के मिशन डायरेक्टर दिग्विजयसिंह जाडेजा ने कहा, "शोधकर्ताओं ने भारतीय खेती में पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल होने वाले जैविक फार्मूलेशन पर आधारित प्राकृतिक खेती पद्धतियों का मूल्यांकन किया। इनमें बीज के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाला बीजामृत, तरल बायोस्टिमुलेंट (जैव-उत्तेजक पदार्थ) के रूप में इस्तेमाल होने वाला जीवामृत और ठोस प्राकृतिक खेती इनपुट के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला घनजीवामृत शामिल था। इस ट्रीटमेंट के साथ गेहूं के भूसे की मल्चिंग (फसल के आसपास की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया) की गई, जिससे मिट्टी में कार्बनिक द्रव्य बनाए रखने के साथ ही सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों के लिए अनुकूल मिट्टी की स्थिति को बनाए रखने में मदद मिली।"

कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दिया प्रशिक्षण

सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा, "कृषि विश्वविद्यालय में मिली सफलता के बाद किसानों को हल्दी की प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और इसमें भी शानदार नतीजे मिले। अब कई किसान इस पद्धति से हल्दी की खेती करने लगे हैं और उनकी आय में वृद्धि हुई है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन में भी मदद करते हैं।"

बायोटेक्नोलॉजी से नए वैज्ञानिक निष्कर्ष

इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि प्राकृतिक कृषि में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पौधों की वृद्धि और फसल के प्रदर्शन पर किस प्रकार असर डालते हैं, इसे समझने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।

जीबीआरसी के संयुक्त निदेशक डॉ. स्नेहल बगथरिया ने कहा, "गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत और बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाले दूसरे प्राकृतिक खेती के बायोफॉर्मूलेशन सहित महत्वपूर्ण प्राकृतिक खेती के इनपुट का विस्तृत माइक्रोबियल और मेटाबोलोमिक विश्लेषण किया।"

डॉ. बगथरिया ने आगे कहा, "इस विश्लेषण में अनेक लाभदायी सूक्ष्मजीवों और 11 अलग-अलग वर्गों में आने वाले करीब 300 से 500 महत्वपूर्ण मेटाबोलाइट्स की पहचान हुई। इनमें से कुछ मिट्टी की सेहत, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और फसल की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं।"

लाभदायी सूक्ष्मजीवों की खोज

कार्यक्रम के बायोटेक्नोलॉजी घटक में प्राकृतिक खेती वाली मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों के समुदाय पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

सीएसआईआर-सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई), भावनगर के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक कृषि वाले खेतों की मिट्टी से पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले अनेक सूक्ष्मजीवों को अलग किया है।

ये सूक्ष्मजीव संसाधन प्राकृतिक बायोफर्टिलाइजर (जैव उर्वरक) और अन्य जैविक खेती इनपुट विकसित करने का आधार बन सकते हैं और इससे किसानों की कृत्रिम कृषि रसायनों पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है।

आर्थिक नतीजे भी उत्साहजनक

वित्तीय निष्कर्ष भी प्राकृतिक कृषि के दृष्टिकोण की आर्थिक संभावनाओं को दर्शाते हैं। अध्ययन के अनुसार, प्राकृतिक खेती के लिए इनपुट खरीदने के बावजूद प्राकृतिक खेती से प्रति हेक्टेयर 10.5 लाख रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया, जबकि परंपरागत खेती से प्रति हेक्टेयर लगभग 3.61 लाख रुपए का लाभ मिला। यह अंतर अधिक उपज और महंगे कृत्रिम कृषि इनपुट पर कम निर्भरता के संयुक्त नतीजे को दर्शाता है।

मिट्टी में जीवंत इकोसिस्टम

अध्ययन में यह भी पता चला कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी में लाभदायी सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रीस्टिया सहित पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया और एसिडोबैक्टीरिया समूह के सूक्ष्मजीव अधिक मात्रा में दिखाई दिए। इसके अलावा, ह्यूमिकोला, मोर्टिरेला और ट्राइकोडर्मा जैसे लाभदायी सैप्रोफाइटिक (मृतजीवी) फंगस में भी वृद्धि पाई गई।

ये सूक्ष्मजीव कार्बनिक द्रव्य के अपघटन, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और पौधों में रोग फैलाने वाले रोगजनकों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

परंपरागत खेती पद्धतियों का बायोटेक्नोलॉजी के साथ समन्वय राज्य में कम लागत वाली और पर्यावरण-अनुकूल टिकाऊ खेती के विस्तार के लिए अधिक मजबूत वैज्ञानिक आधार दे सकता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद के कांकरिया क्षेत्र में अनुपम ब्रिज के छोर पर स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें वंदन किया।

इस अवसर पर उनके साथ मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

इस अवसर पर शहर के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, पूर्व मंत्री श्री ब्रिजेशभाई मेरजा, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, शहर के विधायकगण सर्वश्री अमूलभाई भट्ट, अमितभाई शाह, अमितभाई ठाकर, उप महापौर श्रीमती अंजूबेन शाह, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पानी तथा स्थानीय पार्षदगण और महानगर पालिका के पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे।

अहमदाबाद महानगर पालिका ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर 'सेवा सेतु' कार्यक्रम आयोजित किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में नागरिकों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं के लाभ और प्रमाणपत्र वितरित किए गए

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनसेवा, सुशासन और समर्पण के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उत्सव के हिस्से के तौर पर चल रहे 'सेवा, संकल्प और समर्पण अभियान' के तहत अहमदाबाद महानगर पालिका ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के 'सेवा सेतु' कार्यक्रम के 12वें चरण का भव्य आयोजन किया।

दक्षिण, पूर्व, मध्य और उत्तर जोन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे।

इस सेवा सेतु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले और उनके व्यक्तिगत आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण हो।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'सेवा सेतु' स्थल पर उपस्थित रहकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाणपत्र और सहायता के चेक सौंपे।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के साथ अत्यंत आत्मीयता से बातचीत की और योजनाओं के लाभ को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी। इसके अलावा, उन्होंने सेवा सेतु स्थल पर नागरिकों की सुविधा के लिए लगाए गए विभिन्न योजनाओं से संबंधित डेस्क का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और कामकाज की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री के 'अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने' के संकल्प को साकार करने वाले इस सेवा सेतु कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने मौके पर ही विभिन्न सरकारी सेवाओं और सहायता का लाभ उठाया।

इस अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, सांसद श्री दिनेश मकवाणा, विधायक सर्वश्री अमूल भट्ट, दिनेश सिंह कुशवाह, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पानी, उप महापौर श्रीमती अंजूबेन शाह, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेश पटेल, अग्रणी श्री प्रेरक शाह सहित महानगर पालिका के उच्च अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपीआईटीएस 2026 का उद्घाटन किया; पहले दिन 2,800 से ज़्यादा बी2बी बैठकें हुईं

ग्रेटर नोएडा, 2026ः चौथे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2026 का उद्घाटन आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ ने गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। पांच दिनों तक चलने वाले इस ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) के सहयोग से किया जा रहा है।

उद्घाटन समारोह में फियो के क्षेत्रीय अध्यक्ष (एनआर), श्री अरविंद गोयनका और फियो के महानिदेशक और सीईओ, डॉ अजय सहाय के अलावा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के लोग, निर्यातक, विदेशी खरीदार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।

पहले दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और पार्टनर देशों—जापान, रूस, वियतनाम, सिंगापुर और बेलारूस—के प्रतिनिधियों के बीच पांच सार्थक बैठकें हुईं। इन देशों के राजनयिकों और प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की।

फियो के तत्वावधान में एक अलग बातचीत का भी आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, ओमान, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के 30 प्रमुख विदेशी खरीदारों के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस बातचीत में उत्तर प्रदेश स्थित उद्यमों के साथ सोर्सिंग के अवसरों, निवेश की संभावनाओं और सीधे व्यापारिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

हॉल नंबर 17 में बने खास बी2बी क्षेत्र में पहले दिन 2,800 से ज़्यादा बी2बी बैठकें हुईं, जिनमें उत्तर प्रदेश के लगभग 500 एमएसएमई ने भाग लिया और 140 करोड़ रुपये की व्यावसायिक पूछताछ उत्पन्न हुईं। ये बैठकें बहुत फायदेमंद रहीं और इनके माध्यम से विभिन्न उत्पाद और सेवा क्षेत्रों में विदेशी खरीदारों और भारतीय विक्रेताओं के बीच सीधा संवाद संभव हो सका।

26 सितंबर 2026 को, 225 से ज़्यादा विदेशी खरीदारों के बी2बी बैठकों में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे बिज़नेस पूछताछ, सोर्सिंग टाई-अप और एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की अच्छी संभावनाएँ हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए, फियो के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने कहा कि यूपीआईटीएस 2026 उत्तर प्रदेश के सेलर्स की असाधारण क्षमताओं को दिखा रहा है, खासकर एग्री और फ़ूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एआई और आईटी, फ़ार्मास्यूटिकल्स और दूसरे उभरते सेक्टर में। उन्होंने कहा कि यह इवेंट उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यातकों के लिए इंटरनेशनल मार्केट से सीधे जुड़ने और लंबे समय तक चलने वाले बिज़नेस संबंध बनाने का एक मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है।

यूपीआईटीएस 2026, 29 सितंबर 2026 तक चलेगा। यह इवेंट भारतीय मैन्युफ़ैक्चरर्स, निर्यातकों, एमएसएमई, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल खरीदारों और पार्टनर-देशों के डेलिगेशन्स को व्यापार और निवेश सहयोग के लिए एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का भावनगर शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा सम्मान

सरकारी नीतियों के सरलीकरण और पारदर्शी क्रियान्वयन से उद्योगों को गति मिले; यह सरकार की प्रतिबद्धता : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : भावनगर में शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'राष्ट्र प्रथम' और सेवा-समर्पण की भावना के साथ राज्य सरकार जनसेवा और औद्योगिक विकास के लिए सतत कार्यरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कानून, नीति और नियम इतने सरल होने चाहिए कि नागरिकों तथा उद्योगों को कामकाज में अनावश्यक कठिनाई न हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में गुजरात अग्रसर बना रहे; इसके लिए सरकार सतत नीतिगत सुधार कर रही है।

वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात को वैश्विक निवेश के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। आगामी वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी विश्वभर के उद्योग गुजरात आएँ, तब उन्हें सरल और सुगम व्यवस्थाएं मिलें; यह सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने आगे कहा कि उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी समय पर मिले, इसके लिए सरकार द्वारा मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। उद्योग को जब सरकार की सहायता की आवश्यकता हो, तभी वह समय पर और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो, यह आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों, पारदर्शिता और सरल प्रक्रियाओं के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों से आत्मनिर्भर गुजरात और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में गुजरात नेतृत्व करेगा।

मुख्यमंत्री ने शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से मिलने वाले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए गुजरात के औद्योगिक विकास की यात्रा में निरंतर सहभागी बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, ऊर्जा एवं भावनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, महापौर श्रीमती उषाबेन तलरेजा, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अशोकभाई लाधवा, विधायक सर्वश्री सेजलबेन पंड्या, शिवाभाई गोहिल, भीखाभाई बारैया, गौतमभाई चौहाण, अग्रणी सर्वश्री दिग्विजयसिंह गोहिल, कुमारभाई शाह, महानगर पालिका आयुक्त डॉ. एन.के. मीणा, कलेक्टर डॉ. मनीष बंसल, शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री संजय मेहता, सहायक सचिव श्री अनिलभाई जैन, सौराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री तेजसभाई शेठ सहित विभिन्न एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।

'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत भावनगर को 738.09 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रसेवा और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में चल रहे 'सेवा, संकल्प और समर्पण अभियान' के तहत, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को भावनगर शहर एवं जिले को 738.09 करोड़ रुपए के 79 विकास कार्यों की भेंट दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की राजनीति को एक नई दिशा दी है। सरकार जनसेवा को केंद्र में रखकर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आम नागरिक के जीवन को और भी सुविधा युक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्यरत है।

मुख्यमंत्री ने भावनगर की स्वच्छता की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही स्वच्छ शहर का निर्माण हो सकता है। यह खुशी की बात है कि भावनगर के नागरिकों ने स्वच्छता को अपने स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाया है।

विकास के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए पानी और पर्यावरण का संरक्षण करने की जरूरत पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने 'कैच द रेन' जैसी पहलों को जनभागीदारी के जरिए आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी लोगों से बारिश के पानी का अधिकतम संग्रह करने और भूजल पुनर्भरण के लिए योजनाबद्ध प्रयास करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अपनी संस्कृति, संस्कार और पर्यावरण का संरक्षण करके ही विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' जैसी पहलों के साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष्मान भारत जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ जनसामान्य तक पहुंचे हैं। उन्होंने 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान जनभागीदारी से प्रयास को आवश्यक बताया ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने भावनगर के विकास में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो रहे विभिन्न आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत है कि विकास केवल आज की जरूरतों तक ही सीमित न रहे, बल्कि आगामी पीढ़ी को भी अधिक सुविधासंपन्न और समृद्ध भावनगर की सौगात मिले।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प अभियान' को जनभागीदारी का अभियान बनाकर, सभी से विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित गुजरात और विकसित भावनगर के निर्माण में सहभागी होने का आह्वान किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नागरिक देवो भवः' और 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ जनसेवा को अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। नया कलेक्टर कार्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ नागरिकों को तेजी से सेवाएं देगा।

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस-वे भावनगर के लिए गेम चेंजर बन रहा है। भावनगर में शुरू हुआ सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) युवाओं को जीपीएससी और यूपीएससी की तैयारियों के लिए नए अवसर देगा, वहीं नारी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के लिए भूमि आवंटन से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जिले में 10 हजार से अधिक लोगों का असेसमेंट और 14 शिविर आयोजित हो चुके हैं। वृद्धजनों और दिव्यांगों को सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने भावनगर के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भावनगर के सर्वांगीण विकास को लगातार गति मिल रही है। आज 738 करोड़ रुपए के 79 विकास कार्य जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। आज नए कलेक्टर कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ है।

श्री वाघाणी ने कहा कि भावनगर की कनेक्टिविटी को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट से शहर के यातायात का भार कम होगा और राजकोट, सोमनाथ और धोलेरा जैसे क्षेत्रों के साथ आवागमन सुगम होगा। अलंग, उद्योग और धोलेरा जैसे विकास-क्षेत्रों को मिल रही गति से भावनगर में आगामी समय में रोजगार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।

इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास

भावनगर जिले में 33 करोड़ रुपए के खर्च से नवनिर्मित कलेक्टर कार्यालय के लोकार्पण के अलावा भावनगर महानगर पालिका के 621.63 करोड़ रुपए के 30 विकास कार्यों, सड़क एवं भवन विभाग (राज्य) का 13.19 करोड़ रुपए का 1 कार्य, सड़क एवं भवन विभाग (पंचायत) के 57.03 करोड़ रुपए के 46 कार्य तथा रीजनल कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के 13.24 करोड़ रुपए के काम का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के 5 लाभार्थियों को किट वितरित की गई, 13 सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबियां दी गईं।

भावनगर की महापौर श्रीमती उषाबेन तरलेजा ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में ऊर्जा सह भावनगर जिला प्रभारी मंत्री श्री कौशिकभाई वेकारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोकभाई लाधवा, विधायक सर्वश्री सेजलबेन पंड्या, शिवाभाई गोहिल, भीखाभाई बारैया, गौतमभाई चौहाण, उप महापौर श्री अशोकभाई बारैया, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष किशनभाई मेहता, अग्रणी सर्वश्री दिग्विजयसिंह गोहिल, कुमारभाई शाह, मनपा आयुक्त डॉ. एन.के. मीणा, कलेक्टर डॉ. मनीष बंसल सहित कई अधिकारी, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

नागरिकों तथा पुलिस के संयुक्त सहयोग से राज्य में सीसीटीवी नेटवर्क का बनेगा सुदृढ़ सुरक्षा कवच

'जितना व्यापक नेटवर्क, उतनी अधिक सुरक्षा' : अहमदाबाद के सफल जनभागीदारी मॉडल को राज्यव्यापी स्तर पर विस्तारित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिया गया मार्गदर्शन

गांधीनगर : राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्रसिंह मलिक द्वारा राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करने तथा क्राइम प्रिवेंशन और त्वरित डिटेक्शन के उद्देश्य से समग्र राज्य में सीसीटीवी सर्विलांस को जनभागीदारी के माध्यम से अधिक व्यापक और मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया गया है।

श्री ज्ञानेंद्रसिंह मलिक जब अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त के रूप में सेवाएँ दे रहे थे, तब वर्ष 2024 से 2026 के दौरान नागरिकों, व्यापारी संगठनों और विभिन्न एसोसिएशनों के स्वैच्छिक सहयोग से 24 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। नागरिकों के इस सक्रिय सहयोग के परिणामस्वरूप शहर में क्राइम प्रिवेंशन करने और विशेष रूप से क्राइम डिटेक्शन में पुलिस को अभूतपूर्व सफलता मिली।

जनभागीदारी से तैयार हुआ यह मजबूत नेटवर्क सुरक्षा व्यवस्था में एक गेम-चेंजर साबित हुआ। अहमदाबाद के इस अत्यंत सफल प्रयोग को पूरे राज्य में लागू कर नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी से सुरक्षा का एक मजबूत कवच तैयार करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

राज्य में वर्तमान में 3.88 लाख से अधिक निजी सीसीटीवी कैमरे कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से सार्वजनिक मार्गों,

पार्किंग या सोसायटियों के एंट्री-एग्जिट को कवर करने वाले कैमरों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। सीसीटीवी नेटवर्क का दायरा जितना बड़ा और सुव्यवस्थित होगा, उसका सीधा लाभ नागरिकों की अपनी सुरक्षा और शांति-व्यवस्था में होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्रसिंह मलिक द्वारा सभी शहरों के पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय नागरिकों, रहवासी सोसायटियों और व्यापारी मंडलों के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद और बैठकें आयोजित कर अधिकतम सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से प्रेरित हों; ऐसा वातावरण तैयार करें।

नागरिक जब अपनी सोसायटी या व्यावसायिक परिसर में सीसीटीवी लगाने की योजना बनाएँ तब वे कैमरे केवल परिसर के अंदर तक सीमित न रहते हुए बाहर की मुख्य सड़क, पार्किंग और आवागमन के प्रमुख प्वाइंट्स को कवर करें; यह हितकारी है। इसके अलावा; नाइट विजन क्षमता और आधुनिक 4 मेगापिक्सल या उससे अधिक स्पष्टता वाले तथा पर्याप्त वीडियो बैकअप वाले कैमरों का चयन करने से रात के समय भी उत्कृष्ट सर्विलांस मिलता है और असामाजिक तत्वों में भय पैदा होता है।

राज्य स्तर पर इस जनजागरूकता अभियान के समन्वय और सुचारु कार्यान्वयन के लिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस महानिरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस और जनता के परस्पर विश्वास और सहयोग से ही एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो सकता है, इसलिए सभी नागरिकों से स्वेच्छा से अपने परिसर को सीसीटीवी नेटवर्क से सुरक्षित बनाकर 'सुरक्षित गुजरात' के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की गई है।

व्हाट्सऐप से सोशल मीडिया तक महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा जरूरी, ऑनलाइन उत्पीड़न पर कानून में शिकायत का प्रावधान

सूरत। डिजिटल तकनीक ने कामकाज की दुनिया का स्वरूप तेजी से बदल दिया है। आज कार्यालय केवल किसी इमारत या चारदीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। काम से जुड़े व्हाट्सऐप ग्रुप, ई-मेल, सोशल मीडिया संदेश, वीडियो कॉल और अन्य ऑनलाइन संवाद भी कार्यस्थल की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा का दायरा भी पारंपरिक कार्यस्थल से आगे बढ़कर डिजिटल प्लेटफॉर्मों तक पहुंच गया है। नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी (एआईएफएसएस) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी और व्याख्यान श्रृंखला के दौरान कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा, यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून और उपलब्ध शिकायत तंत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चेयरमैन डॉ. आदेश अग्रवाल ने की। नई दिल्ली के 1, रफी मार्ग स्थित एआईएफएसएस परिसर में नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यों पर आधारित फोटोग्राफी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसके साथ 17 से 24 सितंबर तक विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के व्याख्यान रखे गए। इसी क्रम में एडवोकेट प्रीति जिग्नेश जोशी ने 'डिजिटल युग में महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा' विषय पर अपने विचार रखते हुए बदलते कार्यस्थल और उससे जुड़ी कानूनी चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

एडवोकेट जोशी ने कहा कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कामकाजी महिलाओं के लिए यह समझना जरूरी हो गया है कि कार्यस्थल की अवधारणा केवल कार्यालय की भौतिक सीमा तक सीमित नहीं है। किसी कंपनी या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच व्हाट्सऐप ग्रुप, ई-मेल, ऑनलाइन बैठकें और सोशल मीडिया के जरिए होने वाला संवाद भी पेशेवर संबंधों का हिस्सा हो सकता है। यदि इसी माध्यम का इस्तेमाल किसी महिला को परेशान करने, आपत्तिजनक संदेश भेजने, अनुचित टिप्पणी करने या लगातार ऑनलाइन संपर्क के जरिए दबाव बनाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे मामलों में उपलब्ध कानूनी विकल्पों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के वर्ष 2021 के संजीव मिश्रा मामले का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार इस मामले में अदालत के सामने डिजिटल माध्यम से जुड़े कर्मचारियों के बीच उत्पीड़न का प्रश्न आया था और कार्यस्थल की अवधारणा को व्यापक कार्यस्थल के संदर्भ में भी देखा गया। इस उदाहरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि आधुनिक दौर में कर्मचारियों के बीच काम से संबंधित डिजिटल संपर्क भी कार्यस्थल के व्यापक स्वरूप का हिस्सा बन सकता है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले व्यवहार को पूरी तरह निजी या कार्यालय से अलग मान लेना हमेशा उचित नहीं हो सकता।

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में उन्होंने यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 यानी पीओएसएच कानून की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कानून के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए संस्थागत शिकायत और निवारण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि यदि उन्हें कार्यस्थल पर किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वे निर्धारित शिकायत तंत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार के एसएचई-बॉक्स यानी शी-बॉक्स पोर्टल का भी उल्लेख किया। यह ऑनलाइन व्यवस्था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए उपलब्ध है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार शी-बॉक्स पोर्टल वर्तमान में सक्रिय है। इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है। डिजिटल माध्यम से काम करने वाली महिलाओं के लिए ऐसे ऑनलाइन शिकायत तंत्र की जानकारी विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। कार्यक्रम में महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों से भी जोड़कर समझाया गया। एडवोकेट जोशी ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 75 और धारा 78 का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों से जुड़ी है, जबकि धारा 78 पीछा करने यानी स्टॉकिंग से संबंधित प्रावधान है। इसमें किसी महिला का बार-बार पीछा करना या उसके इंटरनेट, ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग पर निगरानी रखने जैसे व्यवहार को अपराध के दायरे में रखा गया है। डिजिटल दुनिया में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां केवल आपत्तिजनक संदेशों तक सीमित नहीं हैं। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, लगातार अनचाहे संदेश, ऑनलाइन निगरानी, निजी जानकारी साझा करने की धमकी, अशोभनीय टिप्पणियां और डिजिटल माध्यम से दबाव बनाने जैसी स्थितियां भी परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी गंभीर स्थिति में उपलब्ध कानूनी एवं शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करें। एडवोकेट जोशी ने महिलाओं से अपील की कि ऑनलाइन उत्पीड़न को सामान्य घटना मानकर चुप न रहें। यदि किसी डिजिटल माध्यम पर ऐसा व्यवहार हो रहा है जो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, तो संबंधित संदेश, ई-मेल, स्क्रीनशॉट या अन्य उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद मामले की प्रकृति के अनुसार संस्थान की शिकायत समिति, संबंधित सरकारी पोर्टल या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद ली जा सकती है। गुजरात में महिलाओं की सहायता के लिए 181 अभयम हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार 181 अभयम कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को तत्काल सहायता, मार्गदर्शन और आवश्यक सेवाओं से समन्वय उपलब्ध कराने के लिए काम करती है।

अदालत ने BSNL को आदेश दिया है कि वह 32 साल पहले मृत कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करे

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। वडोदरा में 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, जहां BSNL ने 32 साल पहले ड्यूटी के दौरान शहीद हुए एक कर्मचारी के बेटे को मुआवजे के तौर पर नौकरी देने से इनकार कर दिया था, अदालत ने मृतक कर्मचारी के बेटे को मुआवजे के तौर पर नौकरी देने का आदेश दिया। अदालत ने BSNL द्वारा आवेदन खारिज करने को अवैध, अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया। मामले के विवरण के अनुसार, BSNL में लाइनमैन के रूप में कार्यरत भवानी सिंह की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। चूंकि उनके बेटे उस समय नाबालिग थे, इसलिए मृतक कर्मचारी की पत्नी ने 20/6/1995 को विभाग को लिखित आवेदन दिया था कि जब उनका सबसे बड़ा बेटा जसवंत सिंह 18 वर्ष का हो जाए, तो उसे दया के तौर पर नौकरी दी जाए।

फिर वर्ष 2002 में, जब पुत्र बालिग हो गया, तो उसे पुनः रोजगार के लिए अनुरोध किया गया। हालांकि, BSNL के कॉर्पोरेट कार्यालय ने वर्ष 2003 में आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सरकारी नियमों के अनुसार, आवेदन मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए और चूंकि यह आवेदन 9 वर्ष बाद किया गया था, इसलिए यह समय सीमा से बाहर है।

मामला औद्योगिक न्यायालय में भेजा गया। सुनवाई के दौरान, यूनियन ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि आवेदन 1995 में ही दायर किया गया था और तत्कालीन अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया था तथा दावे को 2002 तक लंबित रखने की सिफारिश भी की थी। दूसरी ओर, BSNL ने तर्क दिया कि उन्हें 1995 का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और कंपनी 2008 के नए परिपत्र के अनुसार कार्रवाई कर रही है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि BSNL के 1996 के आंतरिक पत्र से यह सिद्ध होता है कि आवेदन 1995 में दायर किया गया था।

अदालत ने सरकारी अधिसूचना का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्चा 18 वर्ष का होने पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अंततः, अदालत ने मृतक कर्मचारी के बेटे को नौकरी पर रखने के लिए दया याचिका पर फैसला सुनाया।

अहमदाबाद मंडल में स्टेशनों पर पेयजल गुणवत्ता की सघन जांच

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा–2026' अभियान के तहत यात्रियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता की गहन जांच की जा रही है। मंडल के मेडिकल विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टरों द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर नियमित एवं सघन निरीक्षण कर वाटर कूलर, वाटर बूथ एवं वाटर हट से पेयजल के नमूने लिए जा रहे हैं।

इस विशेष अभियान के तहत जनस्वास्थ्य और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से कवर किया गया। इस पहल के हिस्से के रूप में, मेडिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करके पूरी जल आपूर्ति प्रणाली का गहन मूल्यांकन किया गया।

इस संयुक्त अभियान के दौरान यात्रियों से जुड़े मुख्य स्थानों जैसे कि वाटर कूलर, नल और पानी के टैंकों की व्यापक जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया।अभियान के दौरान पानी के नमूनों (सैंपलिंग) की जांच के परिणाम अत्यधिक संतोषजनक रहे। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग (जीवाणु परीक्षण) में कुल 198 में से 93.43% सैंपल पूरी तरह से फिट पाए गए। रेसिड्यूल क्लोरिनेशन टेस्टिंग (अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण) में कुल 877 परीक्षणों में से 88.82 सैंपल कड़े और निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। क्लोरीन परीक्षण में जिन कुछ नमूनों में कमी पाई गई थी, उनके लिए तकनीकी टीमों द्वारा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई और री-क्लोरिनेशन (फिर से क्लोरीन डालने का काम) सुनिश्चित किया गया।

अहमदाबाद मंडल अपने सभी स्टेशनों पर निरंतर और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे की सख्त निगरानी के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी तीन स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर तीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09007/09008 मुंबई सेंट्रल–धौलपुर स्पेशल [4 फेरे]

ट्रेन संख्या 09007 मुंबई सेंट्रल-धौलपुर स्पेशल 02 एवं 06 अक्टूबर, 2026 को मुंबई सेंट्रल से 10.30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.10 बजे धौलपुर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09008 धौलपुर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल 03 एवं 07 अक्टूबर, 2026 को धौलपुर से 14.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी और आगरा कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस–धौलपुर स्पेशल [2 फेरे]

ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस-धौलपुर स्पेशल 07 अक्टूबर, 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 11.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.10 बजे धौलपुर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09024 धौलपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 08 अक्टूबर, 2026 को धौलपुर से 14.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी और आगरा कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 04168/04167 उधना–कानपुर सेंट्रल (साप्ताहिक) स्पेशल [18 फेरे]

ट्रेन संख्या 04168 उधना-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शनिवार को उधना से 23.25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 22.10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 अक्टूबर, 2026 से 28 नवंबर, 2026 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 04167 कानपुर सेंट्रल-उधना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल से 22.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21.40 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 02 अक्टूबर, 2026 से 27 नवंबर, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, फफूंद और झींझक स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09007, 09023 एवं 04168 की बुकिंग 28.09.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मंडलीय रेलवे अस्पताल भावनगर में पोषण माह-2026 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम,खेल, ज्ञान एवं टीमवर्क के माध्यम से पोषण जागरूकता का संदेश

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल स्थित मंडलीय रेलवे अस्पताल, भावनगर (DRH-BVP) में 25 सितंबर 2026 को पोषण माह-2026 के अंतर्गत ऑडिटोरियम कक्ष में पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेल, ज्ञान एवं टीमवर्क के माध्यम से संतुलित एवं स्वस्थ आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को टीम A "पोषण प्रेरणा" एवं टीम B "पोषण शक्ति" में विभाजित किया गया। इस दौरान फूड रंगोली चैलेंज, पोषण क्विज एवं पोषण बास्केट रिले जैसी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

फूड रंगोली चैलेंज में प्रतिभागियों ने फल, सब्जियाँ, अनाज, दालें एवं मेवों का उपयोग कर पोषण आधारित रंगोली तैयार की। पोषण क्विज में दो राउंड में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जबकि पोषण बास्केट रिले के माध्यम से विभिन्न खाद्य समूहों की पहचान एवं संतुलित आहार में उनकी भूमिका को समझाया गया।

कार्यक्रम की गतिविधियों का मूल्यांकन डॉ. मनोज कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (मंडलीय रेलवे अस्पताल, भावनगर) एवं श्रीमती स्मिता, सहायक नर्सिंग अधीक्षक (ANO) (मंडलीय रेलवे अस्पताल, भावनगर) द्वारा किया गया। समग्र प्रदर्शन के आधार पर टीम B "पोषण शक्ति", जिसकी कप्तान डॉ. मूनिका थीं, विजेता रही। विजेता टीम को डॉ. मनोज कुमार एवं श्रीमती स्मिता द्वारा विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का समापन उत्साह एवं सकारात्मक टीम भावना के साथ हुआ। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ भोजन, संतुलित आहार एवं बेहतर जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।

भारतीय रेल भुज और बरौनी के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करेगी,यह नई रेल सेवा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ेते हुए 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी

भारतीय रेल ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मण्डल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि यह नई रेल सेवा 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेगी।

यह रेल सेवा सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी।

ट्रेन संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से 17:30 बजे प्रस्थान करेगी और 04:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में, रेलगाड़ी संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से 23:55 बजे प्रस्थान करेगी और 13:15 बजे भुज पहुंचेगी।

भुज-बरौनी रेलगाड़ी सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी, जबकि बरौनी-भुज रेलगाड़ी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी।

प्रमुख स्टेशनों को जोड़ा जाएगा

नई रेल सेवा के मार्ग में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव होगा, जिनमें समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं।

नई रेल सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं के साथ रोचक संवाद

मुख्यमंत्री ने महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में विकसित भारत-2047 के संकल्प में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को भावनगर में महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी विश्वविद्यालय में आयोजित 'युवा संवाद' कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ मुक्तमन से संवाद किया।

विद्यार्थियों ने उनसे विकसित भारत-2047, रोजगार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खेलकूद, महिला सशक्तीकरण साइबर क्राइम, नशामुक्ति और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न विषयों को लेकर प्रश्न पूछे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर सरल, सहज और मार्गदर्शक उत्तर दिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनसेवा साधना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस युवा संवाद का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत-2047 के संकल्प में युवाओं की सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल बड़े शहरों के विकास से नहीं, बल्कि गाँवों और सुदूरवर्ती व्यक्ति तक विकास के अवसर और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचने पर साकार होगा।

श्री पटेल ने कहा कि युवाओं को स्वयं योजनाओं का लाभ लेने के साथ अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों और मित्रों को भी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोगी बनना चाहिए। यही विकसित भारत-विकसित गुजरात की सही दिशा है।

धोलेरा एसआईआर में पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले उद्योगों की जरूरत के अनुसार तकनीकी कौशल विकसित करना आवश्यक है। सेमीकंडक्टर सहित विभिन्न उद्योगों के लिए सरकार कंपनियों के सहयोग से स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण और कक्षाओं का आयोजन करती है। युवाओं को ऐसे अवसरों का लाभ लेकर अपनी रोजगारक्षमता बढ़ानी चाहिए।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा या तुलना से दूर रहकर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। सफलता न मिले तो फिर से प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग और सकारात्मक विचारधारा मन और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है।

कृषि को रोजगार का माध्यम बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक कृषि पद्धति, उचित बीज, टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर युवा स्वयं के साथ पूरे गाँव की खेती में भी सुधार ला सकते हैं। उन्होंने केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहते हुए मॉडल फार्म का दौरा कर प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने और कृषि उपज में वैल्यू एडिशन करने का भी अनुरोध किया।

साइबर क्राइम के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया।

खेलकूद के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भावनगर में हॉकी सहित विभिन्न खेलों के लिए आवश्यक सुविधाँएं विकसित करने की परियोजना के संबंध में भी सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग का उन्होंने आश्वासन दिया।

उन्होंने महिलाओं की नीति निर्माण में भागीदारी के संबंध में स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन मातृभाषा बोलने या उसका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मातृभाषा के प्रति गौरव बना रहे, यह आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा कौशल, पॉजिटिव थिंकिंग, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमूबेन बांभणिया, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, भावनगर के प्रभारी एवं ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. भरतभाई रामानुज तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

किताबों के लिए दुकानों की दौड़ खत्म, एक क्लिक पर घर पहुंचेगी गुजरात बोर्ड की पाठ्यपुस्तक

गांधीनगर। गुजरात में स्कूली विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पाठ्यपुस्तकें खरीदना अब पहले की तुलना में काफी आसान होने जा रहा है। किताबों की दुकानों पर भीड़, लंबी कतार और आने-जाने में लगने वाले समय से राहत देने के लिए गुजरात सरकार ने डिजिटल माध्यम से पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पहल शुरू की है। 'बुक टू स्टूडेंट विथ जस्ट वन क्लिक' यानी सिर्फ एक क्लिक में विद्यार्थियों तक किताब पहुंचाने की इस व्यवस्था के तहत अब गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्टबुक्स की पाठ्यपुस्तकें अमेजन के माध्यम से घर बैठे मंगाई जा सकेंगी। खास बात यह है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को पुस्तकों की मुद्रित कीमत के अलावा कोई अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क नहीं देना होगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को पाठ्यपुस्तकों की खरीद में होने वाली व्यावहारिक परेशानियों से राहत देना है। खासकर ऐसे परिवारों के लिए यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है, जहां माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं और स्कूल या किताबों की दुकानों तक जाकर पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते। अब उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से किताबों का ऑर्डर करने का विकल्प मिलेगा और पुस्तकें सीधे उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी।

गुजरात के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था है। एक श्रेणी में वे किताबें आती हैं जिन्हें राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी श्रेणी में ऐसी पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं जिन्हें विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों को स्वयं खरीदना पड़ता है। इनका इस्तेमाल विशेष रूप से सेल्फ-फाइनेंस्ड स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच अधिक होता है। इन्हीं पुस्तकों को आसानी से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्टबुक्स ने अमेजन के साथ समझौता किया है। बोर्ड के इस कदम से पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को पारंपरिक दुकानों से आगे बढ़ाकर डिजिटल मंच तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब अभिभावकों को यह पता करने के लिए अलग-अलग दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं होगी कि किसी कक्षा या माध्यम की किताब उपलब्ध है या नहीं। ऑनलाइन माध्यम पर पुस्तक उपलब्ध होने की स्थिति में वे घर से ही उसे मंगा सकेंगे। इससे समय की बचत के साथ-साथ पुस्तक खरीदने की प्रक्रिया भी अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

इस सुविधा का अनुभव लेने वाले अभिभावकों में किंजल मकवाना भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है और वह तथा उनके पति दोनों कामकाजी हैं। ऐसे में दोनों के लिए किताबों की दुकानों पर जाकर पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए समय निकालना मुश्किल था। उन्होंने गुजरात पाठ्यपुस्तक मंडल के माध्यम से अमेजन से पुस्तकें मंगाईं। किंजल के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से उन्हें अपने बच्चे की जरूरत की सभी किताबें आसानी से मिल गईं और बिना किसी परेशानी के पुस्तकें घर तक पहुंच गईं। उनके अनुभव से यह संकेत मिलता है कि कामकाजी अभिभावकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यपुस्तक खरीदने की सुविधा व्यावहारिक विकल्प बन सकती है।

गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्टबुक्स के कार्यकारी अध्यक्ष मनुभाई पावरा ने बताया कि बोर्ड ने हाल ही में अमेजन के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत विद्यार्थियों और अभिभावकों को बोर्ड की पाठ्यपुस्तकें उनकी मुद्रित कीमत पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विद्यार्थियों को किसी अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं करना होगा। जब भी किसी विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होगी, वह अमेजन के ई-कॉमर्स मंच के माध्यम से पुस्तक मंगा सकेगा।

बोर्ड की ओर से अलग-अलग कक्षाओं और विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों को अमेजन पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह है कि यह सुविधा किसी एक कक्षा या सीमित विषय की किताबों तक ही सीमित नहीं रहेगी। विद्यार्थियों की अलग-अलग शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को डिजिटल खरीद व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की गई है। इससे उन विद्यार्थियों को भी फायदा मिल सकता है जिन्हें नियमित वितरण के अलावा अतिरिक्त पुस्तकों की आवश्यकता होती है। गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्टबुक्स हर साल करीब डेढ़ करोड़ पाठ्यपुस्तकों का वितरण करता है। इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों का वितरण अपने आप में एक व्यापक व्यवस्था है। ऐसे में ऑनलाइन मंच के माध्यम से किताबों की उपलब्धता को जोड़ना वितरण व्यवस्था के एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। किसी विद्यार्थी की किताब खो जाने, खराब हो जाने या अतिरिक्त प्रति की जरूरत पड़ने की स्थिति में भी अभिभावक ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तकों की खरीद को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें कीमत को लेकर अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने की बात कही गई है। बोर्ड के अनुसार किताबें उनकी मुद्रित कीमत पर उपलब्ध होंगी और डिलीवरी के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे उन अभिभावकों के लिए ऑनलाइन खरीदारी अधिक आकर्षक हो सकती है, जो पहले यह मानते थे कि घर तक किताब मंगाने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।

पारंपरिक रूप से नई कक्षा शुरू होने के समय विद्यार्थियों और अभिभावकों को किताबों की दुकानों पर काफी भीड़ का सामना करना पड़ता है। कई बार एक ही समय में बड़ी संख्या में अभिभावक अलग-अलग कक्षाओं की पुस्तकें खरीदने पहुंचते हैं।